

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-08072021-228168
SG-DL-E-08072021-228168

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182]	दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 2021/आषाढ 16, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 71
No. 182]	DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 2021/ASHADHA 16, 1943	[N. C. T. D. No. 71

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-IV) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

संख्या 50/2020-राज्य कर

सं0फा0 03(95)/वित्त (व्यय- IV)/2021-22/डीएस- IV/533.- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, दिल्लीमाल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवाकर (सातवाँ संशोधन) नियम, 2020 है ।
(2) ये 01 अप्रैल 2020 से प्रवृत्त होंगे ।
- दिल्लीमाल और सेवाकर नियम, 2017 के नियम 7 में, तालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"तालिका"

क्रम संख्या	धारा जिसके तहत संयुक्त उधग्रहण का विकल्प चुना गया है	पंजीकृत व्यक्तियों का प्रवर्ग	कर की दर
(1)	(1क)	(2)	(3)
1.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	ऐसे विनिर्माताओं से, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाए, भिन्न विनिर्माता	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कारोबार का आधा फीसदी
2.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियाँ करने वाला पूर्तिकार	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कारोबार का ढाई फीसदी
3.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	धारा 10 की उपधारा (1) या (2) के उपबंधों के अधीन संयुक्त उधग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कर योग्य माल और सेवाओं की आपूर्तियों के कारोबार का आधा फीसदी
4.	धारा 10 की उपधारा (2क)	पंजीकृत व्यक्ति जो धारा 10 की उपधारा (1) या (2) के तहत संयुक्त उधग्रहण के पात्र नहीं हैं, लेकिन धारा 10 के उप-धारा (2ए) के तहत कर संदाय का चयन करने के लिए पात्र हैं।	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में माल और सेवाओं की आपूर्तियों के कारोबार का तीन फीसदी ।" ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

मनोज कुमार, उप सचिव-IV (वित्त)

टिप्पण: सं0फा0 03(10)/वित्त(राजस्व-1)/2020-21/डीएस-VI/342, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना तारीख 22 जून, 2017 द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में प्रकाशित किये गए और सं0फा0 03(91)/वित्त (व्यय-IV)/2021-22/डीएस-IV/401, तारीख 28/05/2021 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 48/2020-राज्य कर, तारीख 28/05/2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 7th July, 2021

No. 50/2020- State Tax

No. F.3(95)/Fin.(Exp-IV)/2021-22/DS-IV/533.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

- (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2020.
- (2) They shall come into force with effect from the 01st day of April, 2020.
2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 7, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

"Table

Sl. No.	Section under which composition levy is opted	Category of registered persons	Rate of tax
(1)	(1A)	(2)	(3)
1.	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may	half per cent of the turnover in the State or Union

		be notified by the Government.	territory.
2.	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II	two and a half per cent. of the turnover in the State or Union territory
3.	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Any other supplier eligible for composition levy under sub-sections (1) and (2) of section 10	half per cent of the turnover of taxable supplies of goods and services in the State or Union territory
4.	Sub-section (2A) of section 10	Registered persons not eligible under the composition levy under sub-sections (1) and (2), but eligible to opt to pay tax under sub-section (2A), of section 10.	three per cent of the turnover of taxable supplies of goods and services in the State or Union territory.”.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance)

Note: The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV vide notification, dated the 22nd June, 2017, published vide No. F.3 (10)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated the 22nd June, 2017 and last amended by notification No. 48/2020 – State Tax, dated the 28/05,2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(91)/Fin (Exp-IV)/2021-22/DS-IV/401, dated the 28/05/2021.